

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

रेक्टिफिकेशन संख्या-114/2013/कोटा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, कोटा।

...अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स निखिल ट्रेडर्स
न्यू ग्रेन मण्डी, कोटा।

...प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक
श्री एम.एल.पाटौदी
अभिभाषक

....राजस्व की ओर से

....व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 05.12.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड की एकपीठ द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 24.04.2013 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे "वैट अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत फॉर्म वैट-57 में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, कोटा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 06.09.2011 को वाहन संख्या एम.पी.09/एच.जी-4050 को चैक किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल अधिसूचित श्रेणी का होने से घोषणा प्रपत्र वैट-47 माल के साथ नहीं पाया जाने पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत कुल मांग राशि रूपये 92,190/- का आरोपण किया गया। व्यवहारी द्वारा इस आदेश के विरुद्ध अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाकर मांग राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने पर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 24.04.2013 पारित करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए शास्ति राशि की पुष्टि पर बहाल कर दिया गया। उक्त आदेश को संशोधित किये जाने हेतु व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 33 के तहत यह रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

4. बहस के दौरान व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी ने सूचना पत्र के जवाब के साथ वैट-47 पूर्ण रूप से भरा हुआ कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है, इस पर जो शास्ति का आरोपण किया गया है, वह विधिसम्मत नहीं होने से शास्ति का बहाल करने में त्रुटि हुई है। अपने कथन के

लगातार.....2

समर्थन में उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 35 Tax Up-Date page 49 को उद्धरित किया है।

5. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक का कथन है कि वक्त चैकिंग वाहन में परिवहनित माल के साथ आवश्यक दस्तावेज (वैट-47) नहीं पाया गया। अतः उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वक्त चैकिंग परिवहनित माल के साथ वैट-47 नहीं पाया गया, जबकि अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के तहत परिवहनित माल के साथ वैट-47 आज्ञापक रूप से होना आवश्यक होता है। इस संबंध में पूर्व में कर बोर्ड के आदेश दिनांक 24.04.2013 में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। नोटिस की पालना में प्रस्तुत किया गया वैट-47 फॉर्म भूलवश ट्रांसपोर्टर के यहां छूट जाना बताया गया। अपीलार्थी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर की पालना में वैट-47 उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। वैट 47 का अस्तित्व प्रकरण बनने से पूर्व में विद्यमान था। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स शोरा टैक इण्डिया बना ए.सी.टी.ओ. भिवाड़ी के मामले में दिये गये निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :-

“The Hon'ble supreme court of India in case of D.P. metals (supra) has categorically held that on show cause notice regard to alleged contravention/deficiency found in a respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case it is not in dispute that form VAT-47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by themselves indicative of the bonafides of the transit of the goods. Following in the case of DP metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day petitioner could not have been found to be in contravention of section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under section 76(6) of the RVAT Act.”

अन्य प्रस्तुत निम्न न्यायिक दृष्टांतों में दी गई व्यवस्थाएँ भी हस्तगत प्रकरण में लागू होती हैं।

(क) ए.सी.टी.ओ. झालावाड़ बनाम मैसर्स राजस्थान ट्यूब मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड 28 टैक्स अपडेट पेज 321 (राज.)

(ख) मैसर्स शोरा टैक इण्डिया बनाम ए.सी.टी.ओ. भिवाड़ी 35 टैक्स अपडेट पेज 49 (राज.)

(ग) मैसर्स हीरामणि फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ़ बनाम ए.सी.टी.ओ. उड़नदस्ता बांसवाड़ा 36 टैक्स अपडेट पेज 37 (राज.)

- (घ) अपील नं० 2282/2010/कोटा ए.सी.टी.ओ. आई वार्ड-I सर्किल-III, राजस्थान, जयपुर बनाम मैसर्स कृष्णा सेल्स कॉरपोरेशन कोटा निर्णय दिनांक 26.07.2013 (रा.क.बो.)
- (ङ) मैसर्स एबीबी लिमिटेड जयपुर बनाम ए.सी.टी.ओ. वार्ड-II, सर्किल बाड़मेर 37 टैक्स अपडेट पेज 233 (रा.क.बो.)
- (च) अपील संख्या 1261/2012/जयपुर ए.सी.टी.ओ. वार्ड-II, सर्किल 'बी' अलवर बनाम मैसर्स एबीबी लिमिटेड जयपुर निर्णय दिनांक 27.10.2014 (रा.क.बो.)
- (छ) मैसर्स टाटा डेवी लिमिटेड चित्तौड़गढ़ बनाम ए.सी.टी.ओ. 11 STA Page 35 (R.S.T.T.)
- (ज) अपील संख्या 180/1997/कोटा ए.सी. विशेष वृत्त कोटा बनाम मैसर्स फुलर के.सी.पी. लिमिटेड, कोटा निर्णय दिनांक 14.08.2003 (रा.क.बो.)
- (झ) ए.सी.टी.ओ. उड़नदस्ता श्रीगंगानगर बनाम बूंगे इण्डिया प्रा० लि० (2014) 70 VST Page 49 (राज.)

8. प्रकरण में अभिलेख के तथ्यों के अवलोकन व उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में यह निष्कर्षित किया जाता है कि अपीलार्थी ने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नोटिस के उत्तर के साथ घोषणा-पत्र वैट-47 प्रस्तुत कर दिये जाने से धारा 76 में कोई उल्लंघन कारित नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी के संचलन के दौरान परिवहनित माल की जांच के समय विक्रय संव्यवहार की प्रकृति का निर्णय करने की अधिकारिता नहीं होती है।

9. अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत यह रेक्टिफिकेशन प्रार्थना-पत्र इस सीमा तक स्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य